108

3 pages

1
14/2/2018

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0—14-5
कमांक— 142/2018
आरबीई सं0—104/2018
सं0 ई/204/25/भाग—I/चार

दिनांक 20-08—2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:—रेल कर्मचारियों के नाबालिग बच्चों के पक्ष में चिकित्सीय आधार पर जारी किए जाने वाले विशेष पास में "चिकित्सीय परिचर" के साथ माता/पिता को शामिल करने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(डब्ल्यू)2015/पीएस. 5—I/I दिनांक 03.08.2018 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0 के0 पाण्डेय)
सकाधि/मुख्या0—II
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर — 40 प्रतियों में।
2— महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
3— महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
4— पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर — 01 प्रति में।
5— महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0—02 प्रतियों में।
6— मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु — 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R-55

D8.08.18
मुकाधि
मुकाधि / प्रभा०
DY.CPO/NG
APO/HQ.LII.

2
14/7/2018

RBE No.: 104/2018

ADVANCE CORRECTION SLIP No.: 77

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

NER

No.E(W)2015/PS5-1/1 (12) **New Delhi, dated 03.08.2018**

The General Managers (P)
All Zonal Railways &
Production Units.

Sub: Inclusion of a Parent as well as "Medical Attendant" in Special Passes issued on medical grounds in favour of minor children of railway employees.

In the PNM/AIRF Meeting with Board, the Federation had raised the issue regarding non-inclusion of a parent in the Special Passes issued for outstation medical treatment of children of railway employees due to absence of necessary provision in the extant Pass Rules.

178

2. The issue has been examined in detail and in order to obviate the difficulties in such cases, it has been decided with the approval of the Competent Authority to incorporate the following provision in Schedule VII (Special Passes) of the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition - 1993) as item No.5 (below Note of Item No.4) under Column 3 'Entitlement/facilities':-

> "5. In case of minor children (i.e. boys under the age of 15 years and girls under the age of 18 years), if referred to outstation hospitals for medical treatment, Special Passes in favour of (i) railway servant or his/her spouse, (ii) minor child requiring treatment and (iii) a Medical Attendant (who may be a family member or dependent or any other person) will be issued. The pass will ordinarily be issued for the class of entitlement of the railway servant on privilege account or in higher class, if otherwise admissible under these rules."

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

V. Mural

(V. Muralidharan)
Dy. Director Estt.(Welfare)-I
Railway Board

No.E(W)2015/PS5-1/1 **New Delhi, dated 03.08.2018**

Copy to :-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

....2/-

3
14/2/2018

आर बी ई सं.: 104/2018

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.: 77

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2015/पीएस5-1/1 नई दिल्ली, दिनांक 03.08.2018

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.

विषय: रेल कर्मचारियों के नाबालिग बच्चों के पक्ष में चिकित्सीय आधार पर जारी किए जाने वाले विशेष पास में "चिकित्सीय परिचर" के साथ माता/पिता को शामिल करने के संबंध में।

बोर्ड के साथ पीएनएम/एआईआरएफ बैठक में, फेडरेशन ने मौजूदा पास नियमों में आवश्यक प्रावधान न होने के कारण रेल कर्मचारियों के बच्चों को आउट-स्टेशन चिकित्सीय उपचार के लिए जारी किए जाने वाले विशेष पास में माता/पिता को शामिल न करने के संबंध में मामला उठाया है।

2. मामले की विस्तार से जांच की गई है और ऐसे मामलों में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण- 1993) की अनुसूची VII (विशेष पास) के कॉलम 3 'हकदारी/सुविधाओं' के अंतर्गत मद सं. 4 की टिप्पणी के नीचे मद सं. 5 के रुप में निम्नलिखित प्रावधान को शामिल करने का निर्णय लिया गया है:-

"5. नाबालिग बच्चों के मामले में (अर्थात् 15 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़कियां), यदि चिकित्सीय उपचार के लिए आउट-स्टेशन अस्पताल भेजा जाता है तो विशेष पास (i) रेल सेवक या उनका/उनकी पति/पत्नी, (ii) नाबालिग बच्चा जिसका उपचार होना है और (iii) एक चिकित्सीय परिचर (जो परिवार का सदस्य या आश्रित या कोई अन्य व्यक्ति) के पक्ष में जारी किया जाएगा। पास सामान्यत: उस श्रेणी का जारी किया जाएगा जिसके लिए रेल सेवक सुविधा खाते पर हकदार है या उच्चतर श्रेणी में यदि इन नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य है।"

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

वी. मुरलीधरन
(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक, स्था.(कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(डब्ल्यू)2015/पीएस5-1/1 नई दिल्ली, दिनांक 03.08.2018

प्रतिलिपि:-

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

कृते वित्त आयुक्त/रेलें